

level agencies have been asked point-ly not to negotiate with the State level organisations. Their demand is very simple that since they come under the Ministry of Finance; Department of Banking, there should be a machinery for negotiations. They are doing a splendid job. This is recognised even by the Reserve Bank of India surveys. Now, the problem is that if they cannot negotiate for their problems with somebody in the Ministry, it is likely that this good job which is being done by them will be jeopardised.

Therefore, I request that the Ministry may consider whether or not at the level of the Ministry there should be a negotiating machinery. On the question of salary also, it is time that we take a second look. They have no standardised salary structure. Same kind of job is being done by them as is being done by the commercial banks also. We have adopted the principle of equal pay for equal work in terms of Constitution itself. But here is a case where obviously the same kind of job is being discharged without the same kind of salary structure. There are some 16 or 20 pay scales and each of which is different from the pay scales of commercial banks.

I, therefore, want to draw the attention of the hon. Minister to these two points, one of having a negotiating machinery and the other about the salary scales and I request the hon. Minister to see that early steps are taken by the Finance Ministry in this regard.

**REFERENCE TO THE AGITATION BY THE VHXAGERS OF DELHI AGAINST COMPULSORY ACQUISITION NOTICES ISSUED TO THEM**

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, लाल बौरा के विकास के लिए दिल्ली प्रशासन ने वहाँ के गांव की जमीन को एक्वायर करने के लिए उनको नोटिस दिया है और यह

अगस्त तक जमीन लेना चाहता है। कम 104 गांवों के सभापतियों ने इस के लिए बेगुसराय में मीटिंग की। सरकार अगर दिल्ली के विकास के लिए जमीन नयायर करती है तो उसे रोका नहीं जा सकता है परन्तु इन्फ्लेमेट को देखते हुये दिल्ली की आवश्यकताओं के लिए लेकिन जो गांव के सभापतियों की भावना है, जिन्की जमीन ली जा रही है उनकी धरती चली जा रही है और जब धरती जाती है तो सामान निर्धन और कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में गांव के सभापतियों ने आन्दोलन करने का निश्चय किया है। मैं चाहता हूँ कि उनका आन्दोलन न हो और सरकार उनको जो मुआवजा दे रही है उसमें अधिक से अधिक उन्हें सुविधायें दी जाये। उनके बच्चों को इम्कान देकर दिया जाये, उनको इंडस्ट्री दी जाये। इस मामले पर गुप्त और पूर्वक विचार करने की जरूरत है क्योंकि जमीन के चले जाने के बाद ये लोग निर्धन हो जाते हैं। दूसरी ओर यह भा ठोक है कि हमारा विकास नहीं रुकना चाहिये जन संख्या को देखते हुये और पर्यटन प्लांटिंग को देखते हुये। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह दिशाव महत्व का प्रश्न है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

**REFERENCE TO THE FOLLOW-UP ACTION ON SIDDHARTH HOTEL FIRE**

श्री लाल कृष्ण झाडवाणी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, अजमेर में भी महीने पहले, 23 जनवरी को, नई दिल्ली स्थित सिद्धार्थ होटल में भयानक आग लगी थी और कई लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। इसकी जांच करने के लिए सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया। उस जांच आयोग ने वहाँ की सारी घटना की जांच की और मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने दिल्ली प्रशासन को और होटल के मानिकों को लपटवाही के लिए दोषी पाया है। मैंने आयोग की रिपोर्ट देखी नहीं है। रिपोर्ट सरकार को दी गई है।

मेरी पहली मांग होगी कि उस आयोग की रिपोर्ट सदन के समने भी रखें क्योंकि दिल्ली की जो हुई राइजिंग बिल्डिंग है उनमें बार-बार आग लग रही है और